संख्या-71/2017/2063/22-2-2016-17(214)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 31 जनवरी,2017***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम प्रकाश पुत्र श्री माता प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3/(एम-13-10-2016) दिनांक 26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी प्रेम प्रकाश पुत्र श्री माता प्रसाद, ग्राम-रीछिन, थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 30-09-1981 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बैजनाथ नामक व्यक्ति को बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी तथा सिपाही नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-105/1982 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 323/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दिनांक 04-12-1982 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 14 वर्ष 08 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 02 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध किये जाने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक पारिवारिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 30-09-1981 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बैजनाथ नामक व्यक्ति को बन्दूक से गोली मारकर हत्या करने तथा सिपाही नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रेम प्रकाश पुत्र श्री माता प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-20438/2016 प्रेम प्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-08-2016 के अनुपालन तथा उपयुक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी प्रेम प्रकाश (बन्दी संख्या-38738) पुत्र श्री माता प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-71/2017/2063(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-71/2017/2063/22-2-2016-17(214)/2006

दिनांक 31 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी प्रेम प्रकाश (बन्दी संख्या-38738) पुत्र श्री माता प्रसाद, ग्राम-रीछिन, थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 30-09-1981 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बैजनाथ नामक व्यक्ति को बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी तथा सिपाही नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-105/1982 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 323/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दिनांक 04-12-1982 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 14 वर्ष 08 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 02 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध किये जाने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक पारिवारिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 30-09-1981 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बैजनाथ नामक व्यक्ति को बन्दूक से गोली मारकर हत्या करने तथा सिपाही नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रेम प्रकाश पुत्र श्री माता प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।